संख्या 281 /XIV–1/ 2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितिया,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 1 अप्रैल, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 के सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2008–09 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.3.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 के सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित वचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रू0 52356 हजार (रूपये पांच करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते है–

2425–सहकारिता आयोजनेत्तर

001–निदेशन तथा प्रशासन

03– सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण

	(धनराशि हजार रू0में)
01–वेतन	21094
03–महंगाई भत्ता	15821
06–अन्य भत्ते	2321
08–कार्यालय व्यय	350
09–विद्युत देय	200
10–जलकर/जलप्रभार	20
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300
13–टेलीफोन पर व्यय	350
15–गाडियों का अनुरक्षण ओर पैट्रोल आदि की खरीद	700
17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	150
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	200
48–मंहगाई वेतन	10550
योगः–	52356

(रूपये पांच करोड़ तेईस लाख छप्पन हजार मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अकिंत बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 267/XXVII(1)/2008 दिनांक 27.3.2008 के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर सूचित करें।

उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03– सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण के सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

संख्या 281/XIV–1/ 2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।